



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 11000 1

फा0सं0 रा0भा0 3(2)/2021-हिन्दी

दिनांक 22 फरवरी, 2021

सेवा में,

भाकृअप के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक

विषय: राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार योजना (2019-20) के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले संस्थानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पिछले वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020) के दौरान किए गए कार्य के आधार पर संलग्न प्रोफार्मा में आंकड़े भरकर परिषद मुख्यालय को दिनांक 12 मार्च, 2021 तक भिजवाने की कृपा करें। इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि भेजने हेतु प्रोफार्मा की एक प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। इस पुरस्कार योजना की नियमावली तथा निर्धारित प्रपत्र को भाकृअप की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

संलग्न: उपर्युक्त वर्णित

भवदीया

सीमा चोपड़ा
(सीमा चोपड़ा) 23.2.21
निदेशक (रा0भा0)



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अधीन आने वाले विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वाधिक कार्य हिन्दी में करने पर पुरस्कार देने हेतु नियमावली।

पुरस्कार का नाम

1. परिषद के विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों आदि में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कार्यालय को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम "राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार" है।

पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाता है

2. यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है और परिषद के बड़े संस्थानों व परिषद के "क" और "ख" क्षेत्रों के अन्य संस्थानों के लिए अलग-अलग है तथा इसी तरह "ग" क्षेत्र में स्थित संस्थानों आदि के लिए भी अलग से है।

पुरस्कार का स्वरूप

3. (क) यह पुरस्कार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए (i) परिषद के बड़े संस्थानों (ii) परिषद के "क" और "ख" क्षेत्रों के अन्य संस्थान और (iii) "ग" क्षेत्र में स्थित संस्थानों आदि में से हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कार्यालय को अलग-अलग दिया जाता है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बड़े संस्थानों के लिए 2 पुरस्कार "क" और "ख" क्षेत्रों के छोटे संस्थानों आदि के लिए 2 पुरस्कार तथा "ग" क्षेत्र में स्थित संस्थानों/केन्द्रों के लिए भी 2 पुरस्कार अर्थात् प्रथम को शील्ड और द्वितीय को ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की मूल भावना अक्षुण्ण रखने हेतु यह आवश्यक है कि पुरस्कार किसी अत्यधिक समर्थ संस्था को ही अनवरत न मिलता रहे। इस मूल भावना के संरक्षण हेतु 26 जून, 2009 को पुरस्कारों के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि जिस संस्थान को लगातार 2 वर्ष पुरस्कार मिल चुके हैं उसकी पात्रता पर एक वर्ष के लिए विचार न

किया जाए तथापि एक प्रतियोगिता वर्ष छोड़कर वह संस्थान उसके बाद वाले वर्ष में प्रतियोगिता में पुनः भाग लेने का पात्र होगा।

पुरस्कार का उद्देश्य

4. इस पुरस्कार का उद्देश्य परिषद के विभिन्न संस्थानों आदि के कार्य में हिन्दी को प्रोत्साहित करना है।

पुरस्कार संबंधी प्रशासकीय व्यवस्था

5. पुरस्कार के चयन संबंधी नियम निर्धारित करने और पुरस्कार प्राप्तकर्ता/कर्ताओं के चयन का सम्पूर्ण अधिकार परिषद का है।
6. इन पुरस्कारों पर होने वाला व्यय प्रतिवर्ष परिषद मुख्यालय के स्वीकृत बजट से वहन किया जाता है।

पुरस्कार के लिए पात्रता

7. यह पुरस्कार व्यक्तिगत न होकर संस्थान स्तर पर दिया जाता है। परिषद के अधीनस्थ वे सभी संस्थान/केन्द्र/निदेशालय/ब्यूरो आदि इस योजना में भाग ले सकते हैं जो पूर्णतः या कुछ हद तक अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करते हैं।
8. पुरस्कार के लिए चयन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य के आधार पर किया जाता है। पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू की जाती है।

पुरस्कार के लिए चयन की क्रियाविधि

9. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए परिषद की ओर से संस्थानों आदि को सूचना भेजी जाती है।
10. सभी संस्थानों आदि को प्रविष्टि सूचना में इंगित तारीख तक निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में निदेशक (राजभाषा) के नाम परिषद के पते पर भेजनी होती है।
11. मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् पुरस्कार की सूचना संबंधित कार्यालय को दी जाती है।
12. यदि किसी वर्ष उपरोक्त वर्गों के लिए पुरस्कार के योग्य प्रविष्टि/प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उस वर्ष संबंधित वर्ग के लिए पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाएगी।
13. मूल्यांकन समिति की संस्तुति के बाद ही महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुरस्कार स्वीकृत किया जाता है और इसकी घोषणा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नामित अधिकारी द्वारा की जाती है।
14. यह पुरस्कार वर्ष 2013 से संस्थानों के निदेशकों की बैठक में प्रदान किया जाता है।

(4)

मूल्यांकन समिति

15. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष होता है तथा निदेशक (रा0भा0) सदस्य सचिव होते हैं।
16. समिति में अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बाहर के होते हैं। यह संख्या सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।
17. मूल्यांकन समिति का सदस्य सचिव

- (क) समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को मूल्यांकन प्रोफार्मा की एक-एक प्रति भेजेगा।
- (ख) यह देखेगा कि मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाए जिसमें सदस्यों द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कार के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
- (ग) मूल्यांकन समिति के सदस्य/सदस्यों को प्रविष्टि के विषय में यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वह उसे संबंधित संस्थान आदि से लेकर उपलब्ध कराएगा।
- (घ) पुरस्कार प्राप्तकर्ता के चयन के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुने गए पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा के लिए परिपत्र जारी करेगा।
18. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा अनुबंध-1 पर दिया गया है।

राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार के लिए प्रपत्र

संस्थान का नाम				
राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र का विवरण (संस्थान कौन से क्षेत्र में स्थित है)				
प्रतियोगिता वर्ष				
(1) कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में काम करना	अधिकारी	कर्मचारी	योग	
(क) अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या				
(ख) हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या				
(2) हिन्दी में पत्राचार (इसमें फैक्स, ईमेल आदि सहित)	भेजे गए कुल पत्र			
	हिन्दी में	अंग्रेजी में	हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत	
(क) "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को				
(ख) "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, उसके कार्यालयों तथा उनमें व्यक्तियों के साथ पत्राचार				
(ग) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को				
(घ) हिन्दी में प्राप्त या हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए पत्रों, आवेदनों/अभ्यावेदनों के उत्तर				
(3) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना	कुल	हिन्दी में	अंग्रेजी में	द्विभाषी
वर्ष के दौरान जारी किए गए कुल कागजातों की संख्या				
(4) हिन्दी प्रशिक्षण	अधिकारी	कर्मचारी	योग	
अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या				
हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले				
अधिकारियों/ कर्मचारियों हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का प्रतिशत				
(5) हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण	आशुलिपिक		टाइपिस्ट	
कुल आशुलिपिकों/टाइपिस्टों की संख्या				
हिन्दी में प्रशिक्षित/जानने वाले आशुलिपिकों/टाइपिस्टों की संख्या				
(6) द्विभाषी कंप्यूटरों की व्यवस्था	कुल	अंग्रेजी में	यूनिकोड समर्थित	
कार्यालय में मौजूद कंप्यूटरों का विवरण				
कितने कंप्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा है				
उक्त कंप्यूटरों पर कुल कार्य की तुलना में हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का प्रतिशत				
यूनिकोड समर्थित 'द्विभाषी' कंप्यूटरों पर हिन्दी में किए जाने वाले				

कार्य का प्रतिशत			
(7) वेबसाइट			
वेबसाइट पूर्ण रूप से अंग्रेजी में है		जी हां/नहीं	
वेबसाइट पूर्ण रूप से हिन्दी में है			
वेबसाइट पूर्ण रूप से द्विभाषी/त्रिभाषी है			
वेबसाइट कुछ हिन्दी में है और कुछ अंग्रेजी में			
वेबसाइट का अंग्रेजी में अपडेट करने की तिथि			
वेबसाइट को हिन्दी में अपडेट करने की तिथि			
(8) हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन			
क्या संस्थान में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा आयोजित किया गया (कृ. विवरण संलग्न करें)			
(9) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन (मुख्यालय में भेजे गए कार्यवृत्तों की प्रतियां संलग्न करें)			
अप्रैल-जून - तारीख	जुलाई-सितम्बर - तारीख	अक्टूबर-दिसम्बर - तारीख	जनवरी-मार्च - तारीख
(10) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन (रिपोर्टें संलग्न करें)			
अप्रैल-जून - तारीख	जुलाई-सितम्बर - तारीख	अक्टूबर-दिसम्बर - तारीख	जनवरी-मार्च - तारीख
(11) तिमाही रिपोर्ट भेजना (कृपया मुख्यालय में भेजने की तिथि दर्शाए व प्रतियां संलग्न करें)			
अप्रैल-जून - तारीख	जुलाई-सितम्बर - तारीख	अक्टूबर-दिसम्बर - तारीख	जनवरी-मार्च - तारीख
(12) प्रकाशन			
(क) वार्षिक रिपोर्ट (कृ.प्रति संलग्न करें)		पूर्ण रूप से हिन्दी में प्रकाशित होती है	केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होती है
(ख) सार हिन्दी में प्रकाशित होता है		हां/नहीं	
(ग) हिन्दी में अन्य प्रकाशित प्रकाशनों का विवरण		प्रकाशन का नाम	
(घ) राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन	मासिक	त्रैमासिक	छमाही/वार्षिक
(ङ.) वैज्ञानिकों द्वारा कितने शोध पत्र हिन्दी में प्रकाशित किए गए			
(च) वैज्ञानिकों द्वारा संबंधित विषयों पर कितने लोकप्रिय लेखों का हिन्दी में प्रकाशन किया गया			
(छ) हिन्दी में प्रसार साहित्य/पैम्फलेटों की संख्या			
(13) पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों पर किया जाने वाला व्यय			
(क) समाप्त वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए आवंटित कुल धनराशि			
(ख) जर्नल एवं मानक संदर्भ ग्रंथों पर कुल व्यय			

(ग) अन्य पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	
(घ) हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय की गई राशि	
(14) विविध कार्य	
(14)(क) हिन्दी टिप्पण लेखन	
(i) वर्ष भर में फाइलों पर लिखी गई कुल टिप्पणियां	
(ii) हिन्दी में लिखी गई कुल टिप्पणियां	
(iii) अंग्रेजी में लिखी गई कुल टिप्पणियां	
(iv) वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी में टिप्पणियां लिखने हेतु कार्यालय के लिए निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत	
(ख) नियम 8 (4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुभागों का विवरण (आदेश की प्रति संलग्न करें)	
(i) कार्यालय के अनुभागों की कुल संख्या	
(ii) संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों की संख्या	
(ग) राजभाषा निरीक्षण	
(i) कार्यालय के अधीनस्थ उपकेन्द्रों/अनुसंधान केन्द्रों/अनुभागों/प्रभागों की कुल सं.	
(ii) वर्ष में निरीक्षण किए गए उपकेन्द्रों/अनुसंधान केन्द्रों/अनुभागों/प्रभागों की सं.	
(घ) वर्ष के दौरान हिन्दी में आयोजित की गई संगोष्ठियों की संख्या	
(ङ.) हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसी संगठन/सरकार द्वारा सम्मानित/ पुरस्कारों की संख्या	
(च) संस्थान के वैज्ञानिकों/कर्मिकों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्राप्त पुरस्कारों की संख्या	

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

टेलीफोन नं.